25

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
राजस्व अपील सख्याः--279/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00168)

1. रघुनाथ पुत्र श्री धन्नालाल
2. रामफूल पुत्र श्री धन्नालाल
3. कालू पुत्र स्व. श्री हीरालाल
4. चिरंजी लाल पुत्र श्री मूलचन्द
5. पप्पू लाल पुत्र श्री मूलचन्द
6. छोटू लाल पुत्र श्री मूलचन्द
समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम रामनिवास, तहसील चाकसू, जिला जयपुर (राजस्थान)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 23.02.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 07.06.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्टस/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 136 के अधीन बाबत दुरूस्ती नक्शा इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.60 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.01 हैक्टयर वाके ग्राम रामनिवास तहसील चाकसू में स्थित है, इस भूमि के पुराने खसरा नम्बर 221/38 जिसका रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा था तथा अपीलान्टस द्वारा उक्त भूमि को क्रय किये जाने के पूर्व व बाद में भी यही रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था, अपीलान्ट को कृषि भूमि का आवंटन खसरा नम्बर 38 में से किया गया था तथा आवंटन के बाद ही खसरा नम्बर 38 के नक्शे में तरमीम कर नया खसरा नं. 221/38 डाला जाकर उक्त भूमि के नक्शा ट्रेस को अपीलान्ट की पासबुक में भी दर्शाया गया है और वास्तव में अपीलान्ट की भूमि गत खसरा नं. 221/38 के उत्तर में खसरा नम्बर 222/38 दक्षिण व पूर्व में खसरा नम्बर 38 का शेष रकबा तथा पश्चिम में खसरा नम्बर 213/38 स्थित है, अपीलान्ट की भूमि आयताकार एक चक है जो नक्शा पासबुक व मानचित्र भूमि एकीकरण में स्पष्ट रूप से दर्शायी गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सेटलमेन्ट वर्ष 1985 व 1986 में हुआ जिसमें अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि का क्षेत्रफल नये नक्शे में कर दिया गया तथा अपीलान्टस की भूमि आयताकार की जगह षट्कोणीय

P.T.O.

कर दी जिससे नक्शे में इस परिवर्तन के कारण अपीलान्ट की भूमि का नक्शे में क्षेत्रफल कम हो गया और नये नक्शे के अनुसार पटवारी से जमीन की नाप करवाने पर अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि का क्षेत्रफल 4 बीघा 1 बिस्वा के स्थान 2.5 बीघा ही आता है जबकि गत जमाबन्दी व वर्तमान जमाबन्दी का क्षेत्रफल व मिलान क्षेत्रफल से रिकॉर्ड में आज भी 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि अंकित है। उन्होने आगे कथन किया है कि सैटलमेन्ट 1985–86 में अपीलान्टस की भूमि के नक्शे को सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट के पड़ौसी काश्तकार को नाजायज लाभ पहुंचाने की गर्ज से जानबूझकर साजिश पूर्वक बदला गया है जो विधि विरूद्ध होने से अपीलान्ट द्वारा उक्त सैटलमेंट वर्ष 1985–86 के नक्शे में संशोधन कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में गत सैटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे के अनुरूप दुरूस्ती किये जाने बाबत अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये सरसरी तौर पर बिना अपीलान्टस को जानकारी दिये कैम्प में खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भूमि एकीकरण के दौरान बनाये गये नक्शा ट्रेस की सत्य प्रमाणित प्रति तथा वर्ष 1985–86 के सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे की सत्य प्रमाणित प्रति पेश की थी जिनके सरसरी अवलोकन करने मात्र से दोनों नक्शों में अन्तर स्पष्ट नजर आता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण अन्तर को नजर अन्दाज कर अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गंभीर कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर अर्ज है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के निर्णय दिनांक 07.06.2017 को निरस्त फरमाया जाकर, अपीलान्टस के वर्तमान खसरा नं. 252, 253, 254, 255 के सैटलमेन्ट के दौरान तैयार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करने व उक्त नक्शे को भूमि एकीकरण विभाग के नक्शा ट्रेस वर्ष 1964 के अनुरूप दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सात लाईन की आदेशिका द्वारा "जवाब सरकार अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है" लिखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार की रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिल जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 नॉन स्पीकिन्ग एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

विभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर 2 माह में आवश्यक रूप से निस्तारण किया जावें।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।